



प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि एवं गैर वेतन की अवशेष प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत पशुपालन विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्रांक- ए0एन0डी0यू0टी008/लेखा/अनुदान/2025/834, दिनांक 22.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में गैर वेतन मद अवशेष धनराशि ₹0 15.00 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु गैर वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹0 30.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 15.00 लाख शासनादेश संख्या:41/2025/3361015/कृषिअ-67-1002(002)/7/2025, दिनांक 06.05.2025 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹. 30.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि ₹. 15.00 लाख (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तों/प्रतिबंधों,

1. स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना विषयक निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
2. धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो व्याज निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय/संस्था का होगा।
3. धनराशि कोषाकार से आहरित करके प्रवन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा / किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
5. प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।
 7. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय 16 ए के नियम इस अनुदान पर लागू होंगे तथा इस संबंध में वित्त (लेखा अनुदान) द्वारा निर्गत राजाज्ञा संख्या-1238/दस-15-(1)/63, दिनांक 17.01.1979 में उल्लिखित निर्देशों तथा शासनदेश संख्या-ए-2364/दस-15-(1)/63, दिनांक 17.01.1979 में अनुलग्नित नियमावली का भी परिपालन किया जायेगा।
 8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा। उक्त अनुदान को अंतिम रूप से समायोजन विश्वविद्यालय द्वारा किये गये वास्तविक व्यय, कृषि विश्वविद्यालय की चालू वर्ष के लेखों पर आडिट रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा।
 10. अनुदान के देयक जो कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा सयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे। देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
 11. सम्बंधित कुलपति/वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त तथा प्रपत्र बी०एम० में मासिक सूचना उपलब्ध करायेंगे।
 12. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2415801200800 उ.प्र.कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के पशुचिकित्सा विज्ञान तथा पशुपालन महाविद्यालय की स्थापना हेतु सहायक अनुदान-मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।**
- 5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-**E-1-256-X-2025-26- दिनांक:19-2-2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, लखनऊ/प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त / कोषाधिकारी, अयोध्या ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या,
5. सचिव, उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उ०प्र०, कृषि निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।